

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0.145/19 ता0रजु. 09.12.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.01.2020

सरकार

बनाम

द्वारिका पुत्र निर्भय सिंह गुप्तर


पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा खलुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा डेर के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.36 हैक्ट. किस्म भूमि डी.कू० माला पर सम्बत 2076 में श्री द्वारिका पुत्र निर्भय सिंह, धार-राजसि० कपुरा डेर तह० बयाना ने 0.04 हैक्ट. अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उपने जवाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भूअ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 171 रकबा 0.04 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा डेर से बेदखल किया जाता है। लगान 0.16 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 8/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी धसूली खडी फरसत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

इस पत्रावली की मांग सामग्री  
न. अ. नं. 01 दिनांक 29  
दिनांक 4/2/20  
इन्स्टा 8/1  
21/9/20  
न्यायालय  
न्यायालय

  
तहसीलदार  
बयाना